



समाहरणालय, भोजपुर।

(खनन शाखा)

पत्रांक—3139/खनन, आरा।

दिनांक—16.8.2024

फोन नं०:—06182- 221312 (O), 233311(R)

फैक्स नं०:—06182- 233474(Fax)

ई-मेल:—dm-bhojpur.bih@nic.in

प्रेषित,

M/S Ramjee Singh and Co.,
Ashok Kumar Singh,
S/O Late Janardan Prasad Singh,
Vill-Rampur, Po+PS-Barhara,
Bhojpur, Ara.
Mob-9801734126,
email-ramjeesinghandco@gmail.com

विषय:—

भोजपुर जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट BHOJ SON-27B की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक—31.07.2024 को सम्पन्न ई—नीलामी में उच्चतम् डाकवक्ता घोषित होने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश के संबंध में।

प्रसंग:—

कार्यालय पत्रांक—3019, दिनांक—01.08.2024 एवं विभागीय पत्रांक—3327, दिनांक—13.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक भोजपुर जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट BHOJ SON-27B रकवा—23 हेक्टेयर की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक—31.07.2024 को सम्पन्न ई—नीलामी में आपके द्वारा रु. 6,21,00,000 /— (छः करोड़ इक्कीस लाख रुपये मात्र) की सुरक्षित जमा राशि के विरुद्ध उच्चतम् डाक की राशि रु. 6,83,10,000 /— (छः करोड़ तिरासी लाख दस हजार रुपये मात्र) की बोली लगाये जाने के फलस्वरूप आप उच्चतम् डाकवक्ता घोषित हुए हैं। निविदा दस्तावेज की कंडिका—20 (i) के आलोक में आपके द्वारा नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि (जमा अग्रधन राशि समायोजनोपरान्त) प्रतिभूति जमा के रूप में राशि रु. 15,52,500 /— (पन्द्रह लाख बावन हजार पाँच सौ रुपये) का भुगतान कर दिया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका 20(i)(ii)(iii)(iv)(v) के आलोक में जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट/बालूखण्ड BHOJ SON-27B का सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त एवं बंधेज निम्नवत् हैं :—

1. बालूघाट/बालूखण्ड BHOJ SON-27B से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :—

क्र.	नदी का नाम	रकवा (हेक्टेयर में)	Geo Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	सोन (Perennial)	23.00	25°16'40.47"N	84°39'42.98"E
			25°16'49.21"N	84°39'28.27"E
			25°16'38.20"N	84°39'19.43"E
			25°16'27.40"N	84°39'35.97"E
2	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं।	
3	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य क्षेत्र/पक्षी अभ्यारण्य/वन्य जीव आश्रयण क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं।	
4	बालूघाट/बालूखण्ड से 500 मीटर के अन्दर खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति (संशोधित DSR के अनुसार)		हाँ (रकवा 143 हे०)।	
5	पुरातात्विक स्थल से दूरी		लागू नहीं।	
6	खनन योग्य मात्रा		414000 घनमीटर	
7	अंचल/मौजा/थाना संख्या/खाता/खेसरा		सहार/बरुही/363/962/5057 (अंश)	

2. भुगतान की शर्तें :-

- नीलामीत-राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके अनुक्रमी वर्षों में बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों के अनुरूप होगा।
- प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करना होगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 06 महीना पूरा होने से पहले।

- GST का भुगतान :-** जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, भोजपुर में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।
- आयकर/अन्य करों का भुगतान :-** आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, भोजपुर द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।
- जिला खनिज फाउण्डेशन :-** Bihar District Mineral Foundation Rules, 2018 के अनुसार बंदोबस्ती राशि की दो (2) प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन, भोजपुर के नाम भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।
- वैधानिक अनापत्ति :-** बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति यथा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि निर्धारित अवधि के अन्दर आपके द्वारा प्राप्त करना होगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किये जाने हेतु कार्यदेश निर्गत किया जा सकेगा।
- वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-1731, दिनांक-10.05.2024 द्वारा निम्न प्रकार समय सीमा का निर्धारण किया गया है:-

- खनन योजना:-** सैद्धांतिक स्वीकृतिपत्र (LOI) निर्गत करने के अधिकतम 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर बंदोबस्तधारी द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति/संस्थान से खनन योजना तैयार कराकर विभाग में अनुमोदन हेतु समर्पित किया जायेगा। प्राप्त खनन योजना को अधिकतम 07 (सात) दिनों के अंदर अन्तर्विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- पर्यावरणीय स्वीकृति:-** सफल डाकवक्ता द्वारा खनन योजना अनुमोदन के अधिकतम 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए SEIAA के समक्ष प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के क्रम में सफल डाकवक्ता द्वारा सभी अपेक्षित कार्यवाई ससमय की जा रही है, इससे संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप से समाहर्ता, भोजपुर को उपलब्ध कराया जाएगा।
- उच्चतम डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृतिपत्र (LOI) प्राप्त होने के उपरांत संबंधित बालूघाट के लिए निकटतम मोनिटरिंग अवधि (Base Line Data Collection Period) समाप्ति से अधिकतम 07 (सात) दिन के अंदर ड्राफ्ट EIA एवं लोक सुनवाई के लिए निर्धारित शुल्क बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के समक्ष जमा करेगा। उच्चतम डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी संबंधित बालूघाट के लिए सम्पन्न लोक सुनवाई की तिथि से अधिकतम 07 (सात) दिन के अंदर Final EIA, SEIAA Bihar के समक्ष जमा करेगा।**

- iv. **जल एवं वायु सहमति:-** पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अधिकतम 07 (सात) दिनों के अंदर सफल डाकवक्ता द्वारा Consent to Establish/ Consent to Operate (CTE/CTO) के लिए आवेदन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को समर्पित किया जाएगा।
- v. सफल डाकवक्ता/उच्चतम डाकवक्ता Consent to Establish/ Consent to Operate प्राप्त होने के अधिकतम 03 (तीन) दिनों के अंदर प्रथम किस्त का भुगतान एवं उसपर देय अन्य राशि के साथ किया जाएगा। साथ ही सभी वैधानिक स्वीकृति के साथ एकरारनाम निष्पादन के लिए समाहर्ता, भोजपुर के समक्ष बंदोबस्तधारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
- vi. सभी राशि एवं एकरारनामा के साथ वैधानिक स्वीकृति समर्पित करने के अधिकतम 03 (तीन) दिनों के अंदर जिला समाहर्ता, भोजपुर द्वारा एकरारनामा का निष्पादन किया जाएगा एवं खनन कार्य की अनुमति प्रदान की जाएगी। एकरारनामा निष्पादन के अधिकतम 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर बंदोबस्तधारी द्वारा इसका निबंधन कराया जाएगा।
- vii. **खनन के लिए अनुमत मात्रा:-** खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।
- viii. सफल/उच्चतम डाकवक्ता द्वारा जानबूझकर विलम्ब करने की स्थिति में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं स्वीकृत्यादेश प्रतिसंहत करने की कार्रवाई की जाएगी।

बंदोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना :-

- i. सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा विहित अपेक्षित राशि संबंधित विभाग में जमा कर देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।
7. सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी द्वारा बन्दोबस्ती प्रत्यर्पण/कारोबार छोड़ने का विकल्प बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-50 के अनुरूप किया जा सकेगा।

8. सामान्य शर्त :-

- i. निविदादाता/सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा ई-मेल के माध्यम से किया गया पत्राचार ही मान्य होगा।
- ii. बन्दोबस्ती लेने के बाद सभी बालूघाटों के लिये बालू के उत्तोलन कार्य में संलग्न सभी सहयोगी व्यक्तियों/प्रबंधकों की सूची, पूर्ण पता एवं फोटो के साथ एक माह के अन्दर समाहर्ता को उपलब्ध कराना एवं पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि इसमें कोई बदलाव होता है तो उसकी भी सूची अविलम्ब पोर्टल पर अपलोड/उपलब्ध करायेंगे।
- iii. बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड एवं सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन करायेगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
- iv. बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पिने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।

- v. बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्त रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच-पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।
- vi. बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की होगी।
- vii. सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होंगे और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- viii. सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी समाहर्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निबंधनों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।
- ix. यथोक्त शर्तों, बंधेजों एवं निबंधनों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
- x. सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बकाया का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
- xi. नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार जिला खनन कार्यालय, भोजपुर का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कर बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite images खनन कार्य प्रारंभ करने के पहले जिला खनन कार्यालय, भोजपुर में समर्पित करना होगा।
- xii. बालूघाट से लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो तो सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे।
- xiii. बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- xiv. बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- xv. ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- xvi. सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निदेश/आदेश इत्यादि IT-Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।

समाहर्ता
भोजपुर